रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 659] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 1987/पौष 9, 1909
No. 659] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 1987/PAUSA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

विकास आयुक्त का कार्यालय

(भेषजिक उद्योग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1987

का०आ० 1132(अ):—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 9 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी

के स्तम्भ 5 में यथा विनिर्दिष्ट कीमत को, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग II के सूत्रयोग की, जिनकी प्रबलता और पैक आकार उसके स्तम्भ 3 और स्तम्भ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है, अधिकतम कीमत, जब ब्रांड नाम से बेची जाएं, जिसमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, सम्मिलित नहीं है, नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं०	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक का आकार	अधिकतम कीमत (रु०)
1	2	3	4	5
1.	फ्रूसेमाइड टिकियां	40 मि.ग्रा./टिकिया	10× 10 का पत्ता	15.46
2.	फ्रूसेमाइड टिकियां	40 मि.ग्रा./टिकिया	25× 10 का पत्ता	37.78
3.	फ्रूसेमाइड इंजेक्शन	20 मि.ग्रा./2 मि. लि.	10× 2 मि.लि. का ऐंपुल	10.90
4.	फ्रूसेमाइड इंजेक्शन	10 मि.ग्रा./2 मि. लि.	100× 2 मि.लि. का ऐंपुल	96.80

[सं० 8 (45)/87-पीआई (II)]

आर० एस० माथुर,
संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (पीआई)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner

(Pharmaceutical Industry)

ORDER

New Delhi, the 30th December, 1987

S.O. 1132 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby fixes the price as specified in column 5 of the Table below as the ceiling price exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Category II formulations specified in corresponding

entry in column 2 of the said Table when sold under brand name, with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns 3 and 4 thereof :

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Frusemide Tablets	40mg/Tablet	10 x 10/s Strips	15.46
2.	Frusemide Tablets	40mg/Tablet	25 x 10/s Strips	37.78
3.	Frusemide Injection	20mg/2ml	10 x 2ml. Ampoules	10.90
4.	Frusemide Injection	20mg/2ml	100 x 2ml Ampoules	96.80

[No. 8(45)/87-PI(II)]

R.S. MATHUR,
Jt. Secy. & Development Commissioner (PI)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987